भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/24/2025 - डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 11 दिसंबर 2025

जांच समाप्ति अधिसूचना

मामला संख्या एडी (ओआई) – 21/2025

विषय: यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पैरा नाइट्रोटोल्यूईन (पीएनटी) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की समाप्ति।

क. प्रस्तावना

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रुप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रुप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' के रुप में कहा गया है) ने यूरोपीय संघ (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' के रुप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पैरा नाइट्रोटोलुईन (पीएनटी) (जिसे इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' या 'संबद्ध वस्तु' के रुप में कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रुप में कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, भारत के राजपत्र - असाधारण में प्रकाशित की गई दिनांक 16 जून 2025 की अधिसूचना फा. सं. 6/24/2025- डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू की गई, ताकि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त

होगी।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के संबंध में भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया।

4. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए दिनांक 16 जून 2025 की अधिसूचना फा. सं. 6/24/2025- डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र - असाधारण में प्रकाशित किया गया ।

5. प्राधिकारी ने जांच शुरु करने के उपरांत भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल, संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/ उपयोगकर्ताओं, आवेदक कंपनी के साथ-साथ भारत में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों को, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पते के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी तथा उनसे अनुरोध किया कि वे नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराएं।

6. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई।

7. भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/ उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने का परामर्श दें। उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति के साथ ही उन्हें संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते भी भेजे गए।

8. जांच शुरुआत अधिसूचना और सूचना के प्रत्युत्तर में, संबद्ध देशों के निर्यातकों/ उत्पादकों और आयातकों/ उपयोगकर्ताओं ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर और विधिक प्रस्तुतिकरण को भरकर प्राधिकारी को उत्तर दिया।

9. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपने प्रस्तुतिकरणों का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

ग. <u>आवेदक कंपनी से प्राप्त अनुरोध</u>

10. आवेदक ने दिनांक 26 नवंबर 2025 को भेजे गए एक ईमेल के माध्यम से अपना आवेदन वापस ले लिया है और जांच को समाप्त करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि:

"घरेलू उद्योग की ओर से, *नियमावली के नियम 14 के तहत हम जांच की अवधि के उपरांत महत्वपूर्ण बाजार बदलावों को देखते हुए एतद्द्वारा वर्तमान आवेदन को वापस लेते हैं।*
हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया वर्तमान जांच को समाप्त करें।"

घ. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

11. आवेदक द्वारा किए गए उक्त अनुरोध की जांच की गई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 14(क) में यह प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी किए जाने के उपरांत जांच को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा, यदि *"उसे प्रभावित घरेलू उद्योग से अथवा उसकी ओर से, जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, ऐसा करने के लिए लिखित में कोई अनुरोध प्राप्त होता है।"*

12. आवेदक द्वारा आवेदन को वापस लिए जाने और जांच को समाप्त किए जाने के लिए किए गए अनुरोध को देखते हुए, प्राधिकारी कई हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार करना उचित नहीं समझते और एतद्द्वारा इस जांच को समाप्त करते हैं।

ङ. <u>निष्कर्ष</u>

13. आवेदक कंपनी अर्थात आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा उपरोक्तानुसार आवेदक को वापस लिए जाने और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 14 (क) को देखते हुए, प्राधिकारी एतद्द्वारा यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पैरा नाइट्रोटोलुईन (पीएनटी)" के आयातों के संबंध में दिनांक 16 जून 2025 की अधिसूचना फा. सं. 6/24/2025- डीजीटीआर के तहत शुरू की गई पाटनरोधी जांच को एतद्द्वारा समाप्त करते हैं।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी